भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3902
दिनांक 12 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

बकरी पालन को बढ़ावा देना

3902. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पशुधन अभियान के अंतर्गत बकरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित योजना के अंतर्गत अनुदान के वितरण में विलंब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अनुदान वितरण में विलंब के क्या कारण हैं और योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले और अन्य जिलों के लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत बकरी पालन परियोजनाओं के लिए आवेदन किया है और उन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो लंबित आवेदनों की जिला-वार संख्या सहित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र सहित लाभार्थियों को अनुदान वितरण में विलंब के मुद्दे का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को कोई विशेष सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) इन लंबित अनुदानों के तत्काल वितरण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा बकरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन अभियान नामक कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया है। हालाँकि, विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के तहत राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के जरिए बकरी प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 50% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान कर रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। इस पहल का विस्तार पोल्ट्री, भेड़, सूअर, घोड़े, ऊँट और गधे के प्रजनन फार्मों के साथ-साथ पशु आहार और चारा इकाइयों तक भी है, जिनमें साइलेज, कुल मिश्रित राशन और बीज ग्रेडिंग इकाइयाँ भी शामिल हैं। पात्र आवेदकों में व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), संयुक्त देयता समूह (JLG), किसान सहकारी संगठन (FCO) तथा धारा 8 की कंपनियां शामिल हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के जरिए विभाग, अनुमोदित बकरी परियोजनाओं सहित सभी पात्र लाभार्थियों को, निधियों की उपलब्धता तथा विनियमों में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पालन करने और राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदन के आधार पर, क्रमिक रूप से सीधे सब्सिडी जारी कर रहा है। कुछ मामलों में विलंब भी हुआ है, जाँच करने पर पता चला कि आवेदक द्वारा परियोजना पूरी करने में देरी हुई है और बैंकों द्वारा ऋण की किस्त जारी करने में भी विलंब हुआ है।

(ग) और (घ) चंद्रपुर जिले में बकरी पालन के लिए पाँच परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3.08 करोड़ रुपए है, जिसमें 1.39 करोड़ रुपए की संस्वीकृत सब्सिडी शामिल है। वर्तमान में, जिले के दो लाभार्थियों को कुल 0.30 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। शेष 3 परियोजनाएँ राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA), बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) जैसे विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।

चंद्रपुर सहित महाराष्ट्र राज्य में अनुमोदित परियोजनाओं की जिला-वार संख्या तथा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए शेष अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ङ) वर्तमान में लाभार्थियों को अनुदान के वितरण में देरी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को कोई विशेष सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए, उद्यमिता विकास सुविधा हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ-साथ कार्यशालाओं और कौशल-आधारित प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रशासनिक लागत के रूप में राज्य सरकारों को 1.05 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। प्रभावी और विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य नोडल अधिकारी (SNO) नियुक्त किया गया है जो परियोजनाओं के मूल्यांकन, निगरानी और सत्यापन को सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार है। विभाग परियोजनाओं के लाभों की निगरानी के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस, समीक्षा बैठकें और क्षेत्र का दौरा करता है। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों और लाभार्थियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा के लिए सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय-स्तरीय बैंकर समन्वय समिति (CLBC) की स्थापना की गई है।

(च) सब्सिडी जारी किया जाना परियोजनाओं के अनुपालन, बैंक ऋण की उपलब्धता और अन्य मंज़ूरियों पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है।

*****

अनुबंध
लोक सभा प्रश्न सं. 3902
संसद सदस्य का नाम: श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर
उत्तर की तारीख: 12.08.2025

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**सब्सिडी प्राप्त करने के लिए शेष अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**
1	अहिल्यानगर	21	12
2	अकोला	4	1
3	अमरावती	22	12
4	बीड	8	5
5	भंडारा	3	0
6	बुल्ढाना	8	3
7	**चन्द्रपुर**	**5**	3
8	छत्रपति संभाजी नगर	21	8
9	धाराशिव	8	5
10	धुले	8	6
11	गोंदिया	2	2
12	हिंगोली	12	7
13	जलगांव	5	1
14	जालना	9	3
15	कोल्हापुर	8	4
16	लातूर	8	5
17	नागपुर	5	1
18	नांदेड़	11	5
19	नंदुरबार	2	1
20	नासिक	18	4
21	पालघर	1	1
22	परभनी	40	16
23	पुणे	50	45
24	रत्नागिरि	1	1
25	सांगली	10	2
26	सतारा	29	12
27	सिंधुदुर्ग	3	2
28	सोलापुर	30	16
29	ठाणे	1	1
30	वर्धा	3	0
31	वाशिम	1	1
32	यवतमाल	9	5
कुल		**366**	**190**